


REGULATIONS
विनियम

62nd NATIONAL FILM AWARDS 2014
62^{वें} राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार



Deadline: 20th January, 2015
अंतिम तिथि: 20 जनवरी, 2015

भाग अ
सामान्य निर्देश
Part A
General Information

सामान्य सूचना

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहा जाएगा तथा ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य :

2. पुरस्कार का उद्देश्य उत्कृष्ट सौन्दर्य बोध, तकनीक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता, की ऐसी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ एवं विवेचन में योगदान तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं आदि के प्रकाशन के माध्यम से कला रूप में सिनेमा के अध्ययन तथा विवेचन की ओर इस कला के रूप संबंधी सूचना के प्रसार और समालोचनात्मक विवेचन को भी प्रोत्साहन देना है।

परिभाषा :

3. इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) “**बोर्ड**” से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है;
(ख) “**निदेशालय**” से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधीन फिल्म समारोह निदेशालय अभिप्रेत है;
(ग) “**पुरस्कार**” से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभिप्रेत है;
(घ) “**निर्माता**” से वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कम्पनी, सरकारी विभाग या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं;
(ङ) “**अधिकार धारक**” से निगेटिव का स्वामी, जो किसी फिल्म विशेष के लिए प्रयोगशाला में चलचित्र की फिल्मों के प्रिन्टों के लिए आर्डर देने के लिए अधिकृत है।

आयोजक :

4. यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से फिल्म समारोह निदेशालय या समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

वर्ग :

5. पुरस्कारों में निम्नलिखित वर्ग होंगे :
(i) फीचर फिल्म
(ii) गैर-फीचर फिल्म और
(iii) सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार :

6. फीचर फिल्मों (अनुसूची I), गैर फीचर फिल्मों (अनुसूची II) और सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन हेतु पुरस्कारों के अतिरिक्त, भारत सरकार अपने विवेक से भारतीय सिनेमा के संवर्धन, विकास और विशिष्ट योगदान के लिए किसी फिल्मी व्यक्तित्व को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नामक एक पुरस्कार देगी जिसमें एक स्वर्ण कमल, ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) नकद तथा एक शॉल शामिल होगा।

पात्रता :

- 7.1 केवल वे ही व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे जिनका नाम फिल्मों के नामोल्लेखों में है और जो सामान्यतः भारत में रह रहे हैं। फिल्म भारत

GENERAL INFORMATION

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

1. These regulations may be called the National Film Awards Regulations, and will come into force with immediate effect.

AIMS:

2. The Awards aim at encouraging the production of films of aesthetic & technical excellence and social relevance contributing to the understanding and appreciation of cultures of different regions of the country in cinematic form, thereby promoting unity and integrity of the nation. The awards also aim at encouraging the study and appreciation of cinema as an art form and dissemination of information and critical appreciation of this art form through publication of books, articles, reviews etc.

DEFINITIONS:

3. In these regulations, unless the context otherwise requires,
(a) “**Board**” means the Central Board of Film Certification;
(b) “**Directorate**” means the Directorate of Film Festivals under the Ministry of Information & Broadcasting;
(c) “**Awards**” mean National Film Awards;
(d) “**Producer**” includes an individual producer, a production company, a Government Department or a Government recognized Institute;
(e) “**Right Holder**” means the owner of the negative who is authorized to order prints of cinematographic films from the lab for a particular film and copyright holder of the film (in case of digital films).

ORGANISERS

4. The Awards will be organized by the Directorate of Film Festivals, or such other organization as may be notified from time to time, on behalf of the Government of India.

SECTIONS

5. The Awards will have the following sections:-
(i) Feature Films
(ii) Non-Feature Films and
(iii) Best Writing on Cinema

DADASAHEB PHALKE AWARD

6. In addition to the awards for Feature Films (Schedule I), Non-Feature Films (Schedule II), and Best Writing on Cinema, the Government of India will give an award called the Dadasaheb Phalke Award to a film personality for his/her outstanding contribution to the growth and development of Indian Cinema. The Award shall consist of a Swarna Kamal, a cash Prize of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten lakhs only) and a shawl.

ELIGIBILITY

- 7.1 Only those persons whose names are on the credit titles of the film and are normally residing and working in India will be eligible for the Awards. The film should have been produced in India. In the case of co-productions involving

में निर्मित होनी चाहिए। यदि फिल्म के सह-निर्माता के रूप में कोई विदेशी व्यक्ति शामिल है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-

- (i) कम से कम एक सह-निर्माता भारतीय होना चाहिए।
 - (ii) भारतीय सह-निर्माता भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - (iii) फिल्म का शीर्षक भारतीय फिल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
 - (iv) फिल्म का निर्देशक भारतीय होना चाहिए। उसके कलाकार तथा तकनीशियन मुख्यतः भारतीय होने चाहिए।
 - (v) फिल्म का निगेटिव भारत में अधिकार धारक के पास होना चाहिए ताकि उसके प्रिन्ट लिए जा सकें।
 - (vi) आवेदनकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह भारत तथा विदेश में होने वाले फिल्म समारोहों में भारतीय प्रविष्टि के रूप में फिल्म की भागीदारी के लिए स्वीकृति दे सके तथा फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा समारोहों में उसे दिखाया जा सके।
- 7.2 विदेशी मूल के फिल्म कलाकार एवं तकनीशियनों को भी पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है।
- 7.3 **फिल्म 1 जनवरी 2014 और 31 दिसम्बर 2014** के बीच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- 7.4 किसी फिल्म के फीचर या गैर फीचर होने के प्रश्न पर निर्णय सेंसर प्रमाण पत्र में दी गई श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 **सभी फिल्मों के उप-शीर्षक निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा में हों।**
- 7.6 सभी प्रविष्टियां केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्करण में होनी चाहिए (फीचर एवं गैर फीचर के प्रविष्टि पत्र का अनुलग्नक I देखें)।
- 7.7 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन तथा कंपनियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी।
8. निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए पात्र नहीं होंगे :-
- (क) किसी फिल्म का डब किया हुआ/संशोधित/नकल किया गया रूपान्तर।
 - (ख) उन कलाकारों की फिल्में पुरस्कार के लिए अनुसूची I की क्रम संख्या (x) से (xiv) तक विचारणीय नहीं होंगी जिनके संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किया गया है।
9. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (समय समय पर संशोधन के अनुसार) के प्रावधानों का उल्लंघन, यदि सिद्ध हुआ, तो फिल्म की प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी अथवा फिल्म को किसी भी पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।
10. ऐसे आवेदक पुरस्कार की प्रतियोगिता से स्वतः ही **तीन वर्ष के लिए** अयोग्य हो जाएंगे जो निर्णायक मंडल के किसी सदस्य पर पत्राचार, फोन, ईमेल इत्यादि द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव/सिफारिश कराते हुए पाए जाते हैं। इस अयोग्यता के कारण उस व्यक्ति को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु प्रतियोगिता में शामिल होने से तीन वर्ष के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
11. आयोजकों के स्टाफ के सदस्य किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

a foreign entity, the following conditions should be fulfilled:-

- (i) At least one of the co-producers must be an Indian entity.
 - (ii) The Indian entity should be registered in India or be a citizen of India.
 - (iii) The title of the film should be registered as an Indian film title.
 - (iv) The Director should be an Indian national. The cast and technicians should be predominantly Indian nationals.
 - (v) The negative should be available with the right holder in India to strike prints.
 - (vi) The applicant should have the right for sanctioning participation of the film in festivals in India and abroad as an Indian entry as well as special expositions of Indian cinema organized by the DFF.
- 7.2 Film professionals & technicians of foreign origin can also be considered for Awards.
- 7.3 The film should have been certified by the Central Board of Film Certification (CBFC) **between 1st January 2014 and 31st December 2014.**
- 7.4 The question whether a film is a feature film or non-feature film shall be based on the categorization made in the CBFC certificate.
- 7.5 **ALL FILMS MUST CARRY ENGLISH SUBTITLES.**
- 7.6 All entries should be in the version certified by the Central Board of Film Certification (Annexure I to entry form for Feature/Non-Feature Films).
- 7.7 A maximum of seven entries would be allowed from individuals, producers, Production Units, Government organizations, companies.
8. The following shall not be eligible for entry in the competition :-
- (a) Dubbed/revised/copied version of a film.
 - (b) Performance of an artiste where his/her dialogues are dubbed by some other artist, for awards at Sl. (x) – (xiv) of Schedule I.
9. Violation of provisions of the Indian Copyright Act, 1957 (as amended from time to time), if proved, will result in a bar on the entry of the film and/or result in cancellation of selection of the film for any award.
10. An applicant would be disqualified automatically for a **period of 3 years** for consideration of the award if it is found that he/she is influencing any member of the jury by way of writing letters, sending emails, making telephone calls, approaching in person or any other similar activity in this regard. This disqualification would entail that the work of such disqualified persons would not be eligible for consideration of National Film Awards. The decision of the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting in this regard would be final and binding.
11. Members of staff of the Organizers would not be eligible for the awards in any category.

प्रविष्टि प्राप्ति की अंतिम तारीख

12. फिल्म समारोह निदेशालय में फिल्मों के प्रिन्ट (डिजिटल के विषय में प्रिंट या ब्लूरे/डीसीपी/डीवी कैम) सहित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2015 होगी।

फिल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

13. फिल्म की प्रविष्टि केवल उसके निर्माता द्वारा ही की जाएगी (डिजिटल फिल्म के मामले में कॉपीराइट धारक द्वारा)।

13.1 प्रारूप

फीचर फिल्म: 35 एमएम या चौड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एमएम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिप्टिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) या सैल्युलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है। कृपया DVD की दो प्रतियाँ भी संलग्न करें।

- 13.2 गैर-फीचर फिल्म: 35 एमएम या चौड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एमएम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिप्टिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल)/डीवी कैम या सैल्युलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है। कृपया DVD की दो प्रतियाँ भी संलग्न करें।

14. निर्माता को अपनी प्रविष्टि, प्रविष्टि प्रपत्र में दो प्रतियों में भेजनी चाहिए। फार्म हर दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ पार्ट बी का खंड 3.2 (फीचर फिल्म) एवं पार्ट सी का खंड 3 (गैर फीचर फिल्म) में उल्लिखित सभी दस्तावेज एवं सहायक सामग्री भेजी जानी चाहिए अन्यथा निदेशालय द्वारा प्रविष्टि रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी “क” : निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम फिल्म में दिए गए क्रेडिट शीर्षक के समान ही हों। इस संबंध में निर्माता एक प्रमाण-पत्र भी जमा करें। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इस शपथपत्र के जमा करने के उपरान्त इस मामले में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा (अनुलग्नक I देखें)।

टिप्पणी “ख” : प्रविष्टि प्रपत्र के कालम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें डाक का पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन न., मोबाइल न., फ़ैक्स संख्या (यदि कोई हो), दी गई है।

15. फिल्म का चयन हो जाने पर निम्नलिखित सामग्री तुरन्त भेजी जाए :-
- पोस्टर (थिएटर आकार के)
 - एक तीन मिनट का प्रोमो/ट्रेलर
 - अभिनय करने वाले कलाकारों तथा फिल्म में काम करने वाले अन्य तकनीशियनों इत्यादि के 05 उच्च रेज्यूल्यूशन तस्वीरें (उनके सम्पर्क विवरण के साथ)
 - फिल्म की 20 तस्वीरें (600 डीपीआई या 15–20 एमबी) भी ई-मेल करें।
 - (i) ब्लूरे/डीसीपी
 - (ii) दो डी वी डी

उपरोक्त सभी अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ अवश्य हों।

LAST DATE FOR RECEIPT OF ENTRY

12. Last date for receipt of the application along with the print or BluRay/DCP/DV CAM (as the case may be) in the Directorate of Film Festivals, shall be 20th January 2015.

PROCEDURE FOR ENTRY OF FILMS

13. A film shall be entered by its producer only (or in case of digital film by copyright holder).

13.1 Format

Feature Films: Films certified in 35 mm or wider gauge (Celluloid) should be submitted only in the same format. However, films certified in Video/Digital format can be submitted either in 35 mm / or in DCP (Unencrypted, DCI Compliant- J2k) , Interop or SMPTE DCP- Note: J2K Interop DCP to be only in 24fps)/ BluRay (region free PAL) along with two DVD copies.

- 13.2 Non-Feature Films: Films certified in 35 mm or wider gauge (Celluloid) should be submitted only in the same format. However, films certified in Video/Digital format can be submitted either in 35 mm / or in DCP (Unencrypted, DCI Compliant- J2k) , Interop or SMPTE DCP- Note: J2K Interop DCP to be only in 24fps)/ BluRay (region free PAL) or Dv Cam along with two DVD copies.

14. The producer/production company should submit his/her entry in the Entry Form in duplicate. The form must be complete in all respects and should be accompanied by all the material mentioned in **Clause 3.2 of Part B (Feature Films) & Clause 3 of Part C (Non-Feature Films)**, failing which the entry is liable to be rejected by the Directorate.

Note A. The producer shall ensure that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film. A certificate to this effect shall be furnished by the producer. DFF will not entertain any further claim in this matter **AFTER** the submission of this affidavit. (See Annexure I to entry form for Feature/Non-Feature Films).

Note B. While furnishing information in column 14 of the entry form, the Producer/Production Company should ensure that complete postal address, e-mail address, telephone number, mobile phone number and fax number (if any) is furnished.

15. In case the film is selected, the following should be submitted immediately.

- Five posters (preferably theatrical size)
- A three minute promo/trailer
- Five high-resolution working stills each of the main cast & crew (along with their contact details).
- Twenty film stills (600 dpi or 15-20 MB) may also be e-mailed.
- (i) BluRay/DCP
- (ii) 2 DVDs

All of the above must carry English subtitles.

16. निदेशालय में प्रिंट तथा दूसरी सामग्री भेजे जाने की लागत प्रविष्टिकर्ता द्वारा वहन की जायेगी। सभी सामग्री कोरियर द्वारा भेजी जाए। कृपया प्रविष्टि प्रपत्र प्रिन्ट बॉक्स में न रखें।
17. यदि प्रिंट अथवा डीसीपी / ब्लूरे / डीवी कैम (फीचर फिल्म के लिए डिजिटल प्रारूप के मामले में), प्रिंट अथवा डीसीपी / ब्लूरे / डीवी कैम (गैर-फीचर के लिए डिजिटल प्रारूप के मामले में) निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता, तो निदेशालय को प्रविष्टि रद्द करने का अधिकार है। प्रिंट की वापसी का व्यय निदेशालय द्वारा वहन किया जायेगा।

पुरस्कार समारोह

- 18.1 यह अत्यावश्यक है कि पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने आएंगे। यदि किसी कारणवश पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ सकते तो पुरस्कार, पुरस्कार विजेता के किसी प्रतिनिधि को प्रदान नहीं किया जाएगा। बल्कि पुरस्कार विजेता को बाद में भेजा जाएगा।
- 18.2 यदि एक फिल्म के एक से अधिक निर्माता हैं तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-
 - (अ) केवल एक पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की राशि को सभी निर्माताओं में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा और सभी निर्माताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (ब) केवल एक निर्माता को ही स्वयं तथा अन्य निर्माताओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित किया जाएगा।
 - (स) फिल्म की प्रविष्टि भेजते समय निर्माता को, पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए निर्माता के नाम की घोषणा करनी होगी।
19. इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों तथा इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
20. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ये विनियम स्वीकार है।
21. फिल्म प्रिन्ट के अतिरिक्त प्रविष्टि प्रपत्र, फिल्म प्रिन्ट, अन्य सामग्री और सभी पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए :-

62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2014

फिल्म समारोह निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

सीरीफोर्ट सभागार परिसर

अगस्त कांति मार्ग

नई दिल्ली - 110049

दूरभाष नं. - 011-26499378

टेलीफैक्स नं. - 011-26497214

ई-मेल : enter4nfa@gmail.com

वेबसाइट : www.dff.nic.in

विवाचन

22. निर्माता तथा निदेशालय के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा। यह विवाचन उपनियम निर्णायक मंडलों के निर्णयों पर लागू नहीं होगा। निर्णायक मंडल का निर्णय फिल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आवेदक दोनों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

16. The cost for sending the print/cassettes and other material, to the Directorate is to be borne by the entrant. All material should be sent by courier. Please **DO NOT** put the Entry Form in the Print box.
17. **THE DIRECTORATE RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY ENTRY IF THE PRINT or DCP/Bluray (in case of Feature Films made in Video/digital formats)/PRINT OR DCP/Bluray /DV CAM (in case of Non-Feature Films made in Video/digital formats) is NOT RECEIVED BY THE PRESCRIBED DATE.** The cost of the return freight will be borne by the Directorate.

AWARD FUNCTION

- 18.1 It is necessary and important that the Award winners should personally come to receive the Award. If due to some reason the Award winner is not able to come personally, the Award would **NOT** be presented to any representative of the Awardee. It would be sent to the Awardee later.
- 18.2 In case a film has more than one producer, the following would apply :-
 - (a) Only one medal would be given. The cash amount would be shared between the producers and the certificates would be given to all producers.
 - (b) Only one Producer would be allowed to come on the stage to receive his/her certificate, and also certificates on behalf of others.
 - (c) The Producers will declare, at the time of submitting the entry form, the name of the Producer who will be invited to receive the Award during the ceremony.
19. The decision of the Government of India in respect of matters covered by these Regulations and of the interpretation of these Regulations shall be final.
20. A person submitting an entry for the award shall be deemed to have accepted these Regulations.
21. (a) The entry form, film print, other material/books/articles and all correspondence should be addressed to:

62nd National Film Awards, 2014

Directorate of Film Festivals

Ministry of Information & Broadcasting

Siri Fort Auditorium Complex,

August Kranti Marg,

New Delhi-110049

Telephone No.: 011-26499378

Tele/fax No.011-26497214

E mail: enter4nfa@gmail.com

Website: www.dff.nic.in

ARBITRATION

22. Should any dispute or difference arise between the Producer and the Directorate, the same shall be referred to the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, whose decision in the matter shall be final and binding on both the parties. This Arbitration Clause will not apply on the decision of Juries, which will be final and binding on both the Directorate of Film Festivals and the applicant for National Film Awards.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल

सामान्य

- 23.1 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फिल्म की प्रविष्टि हुई है। उसके निकट संबंधी की फिल्म प्रविष्टि होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को फिल्म/पुस्तक/लेखन के पूर्वावलोकन/निर्णय में सम्मिलित न होने का अधिकार होगा।
- 23.2 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची V में दिए गए प्रपत्र में लिखित घोषणा करनी होगी।
- 23.3 निर्णायक मंडल के सदस्य विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों के निर्णय संबंधी चर्चा/सिफारिश को गोपनीय बनाए रखेंगे। निर्णायक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उन्हें जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार/भारतीय पैनोरमा/भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निर्णायक मंडल का सदस्य बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 23.4 निर्णायक मंडल पुरस्कार विजेताओं का चयन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निदेशालय को देंगे। निर्णायक मंडल अपने विवेक से यह सिफारिश कर सकेंगे कि किसी श्रेणी विशेष में पुरस्कार नहीं दिया जाए, यदि उन्हें लगे कि उस श्रेणी में प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की नहीं हैं।
- 23.5 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 23.6 निदेशालय का निदेशक और/या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेगा ताकि वे/वह जानकारी/स्पष्टीकरण दे सकें जो निर्णायक मंडल मांगे लेकिन वह बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा।

चयन प्रक्रिया

फीचर फिल्म

- 24.1 विनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों का चयन करने के लिए द्विस्तरीय प्रणाली (यथा-क्षेत्रीय निर्णायक मंडल तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल) होगी। भारत सरकार के अनुमोदन पर फिल्म समारोह निदेशालय विधिवत रूप से केन्द्रीय निर्णायक मंडल तथा पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों का गठन करेगी। जिसमें सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

(अ) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल

- (i) पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडल निम्नानुसार होंगे :-
उत्तर : हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, भोजपुरी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी तथा केन्द्रीय भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।
पश्चिम : मराठी, गुजराती तथा कोंकणी भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।
दक्षिण I : तमिल, मलयालम तथा तत्संबंधी क्षेत्रीय बोलियों की फिल्मों के लिए एक पैनल।
दक्षिण II : कन्नड़, तेलुगु तथा तत्संबंधी क्षेत्रीय बोलियों की भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।
पूर्व : बंगाली, असमिया, उडिया, मणीपुरी और पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली बोलियों की फिल्मों का एक पैनल।
- (ii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल में एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य (दोनों को क्षेत्र के बाहर से चयनित किया जाएगा) तथा तीन अन्य सदस्य क्षेत्र में रहने वाले होंगे।
- (iii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल लगभग 30 प्रतिशत फिल्मों की सिफारिश करेगा।
- (iv) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल को पुरस्कार की सिफारिश करने का अधिकार होगा जिसके लिए फिल्म विशेष पर विचार किया जाए।
- (v) निर्णायक मंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले फिल्म को पूर्णतया देख लें।

NATIONAL FILM AWARDS JURY

General

- 23.1 A person will be ineligible to serve on a Jury ONLY if his/her own film/work is an entry. In the event of his/her close relative being associated with a particular film, the jury member will have the right to recuse himself/herself from the preview/judging of the film/book/writing.
- 23.2 A person appointed as Chairperson or member of the Jury shall make a declaration in writing in the form given in Schedule V.
- 23.3 The Jury Members shall maintain strict confidentiality regarding the deliberations/recommendations in respect of awards to various categories. In case of any violation by jury members, he/she would be debarred for life from becoming a jury member in National Film Awards/Indian Panorama/International Film Festival of India.
- 23.4 The juries shall select the award winners and give their reports to the Directorate. The juries shall have the discretion to recommend that an award in any particular category may NOT be given if they are of the opinion that the entries in that category are not of the required standard.
- 23.5 **THE DECISION OF THE JURIES SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE ENTERTAINED.**
- 23.6 The Director of the Directorate and/or his/her nominee may be present at the time of the deliberations of the juries only in order to provide information/clarifications, if any, required by the juries and not to participate in the deliberations.

PROCEDURE FOR SELECTION

FEATURE FILMS

- 24.1 There shall be a two-tier system i.e. Regional Jury and Central Jury for making selection for the various categories of awards as specified in Schedule-I of the Regulations. The Central jury and five (5) Regional Juries, will be duly constituted by the Directorate of Film Festivals with the approval of the Government of India, and comprising persons distinguished in the field of cinema, other allied arts and humanities.

(A) REGIONAL JURIES

- (i) There shall be five regional juries as follows :-
North : One Panel for films in Hindi, Punjabi, Dogri, Bhojpuri, Rajasthani, Urdu, English and Central Indian Languages.
West : One Panel for films in Marathi, Gujarati and Konkani.
South I : One Panel for films in Tamil, Malayalam and related dialects.
South II : One Panel for films in Kannada, Telugu and related dialects.
East : One Panel for films in Bengali, Assamese, Oriya, Manipuri and North-Eastern dialects.
- (ii) Each Regional Jury would comprise a Chairperson and one member (both of whom would be selected from outside the region) and three other members from within the region.
- (iii) Each Regional Jury would recommend 30% (approximately) of the films.
- (iv) Regional Juries shall have the power to recommend the Awards for which a particular film should be considered.
- (v) It is mandatory for the jury to view each film in its entirety before arriving at a decision.

(vi) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल दिल्ली में फिल्मों का पूर्वावलोकन करेंगे।

(ब) केन्द्रीय निर्णायक मंडल

(i) केन्द्रीय निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होंगे।

(ii) क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों के अध्यक्ष केन्द्रीय निर्णायक मंडल में सदस्य होंगे। अध्यक्ष क्षेत्रीय निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उपलब्ध न हो और वह इसकी लिखित सूचना दे तो मंत्रालय मंडल के किसी अन्य सदस्य को केन्द्रीय निर्णायक मंडल में नामित कर सकता है।

(iii) बैठक दिल्ली में होगी।

(iv) केन्द्रीय निर्णायक मंडल पुरस्कारों के विभिन्न वर्गों, जैसा कि विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है, जो कि क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों की सिफारिश पर आधारित है, के लिए शीर्षस्थ संस्था होगी।

(v) यद्यपि, केन्द्रीय निर्णायक मंडल के पास क्षेत्रीय निर्णायक मंडल द्वारा अनुषंसित नहीं की गई फिल्मों में से एक फिल्म को शामिल करने का अधिकार होगा बशर्ते कि केन्द्रीय निर्णायक मंडल (केन्द्रीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित) के पांच सदस्य उस फिल्म को शामिल करने हेतु लिखित में अपनी सहमति दें।

24.2 क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल अपनी कार्य प्रणाली का स्वतः निर्धारण करेंगे।

24.3 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

गैर फीचर फिल्म

25.1 गैर फीचर फिल्म निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम छः सदस्य होंगे जो कि सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होते हैं। गैर-फीचर फिल्मों के निर्णायक मंडल का अध्यक्ष निर्णायक मंडल के सदस्यों में से अधिकतम दो पैनल बना सकता है।

25.2 प्रत्येक पैनल, उनके द्वारा अवलोकित फिल्मों में से अधिक से अधिक 33 प्रतिशत फिल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के समक्ष संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश कर सकेगा। गैर फीचर फिल्म निर्णायक मंडल, पैनलों में फिल्मों के प्रदर्शन से पहले यह तय करेगा कि कुल शामिल फिल्मों में से कितनी प्रतिशत फिल्मों को पुनः प्रदर्शन हेतु रखा जाए।

25.3 गैर फीचर फिल्म निर्णायक मंडल अपने कार्य प्रणाली का स्वयं निर्धारण करेंगे। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

26.1 सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए पुरस्कारों का निर्णय भारत सरकार द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया जायेगा। इस निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित, साहित्य पत्रकारिता तथा सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखने वाले 3 सदस्य होंगे।

26.2 निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उस भाषा के जानने वाले व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां स्वीकार की गई है।

26.3 भारत सरकार किसी भाषा विशेष में प्रविष्ट पुस्तकों/लेखों/समीक्षाओं की संख्या दो देखते हुए अपने विवेक से पुस्तकों/लेखों/समीक्षाओं की अनुशंसा करने के लिए उस भाषा विशेष के लिए लघु क्षेत्रीय पैनल बना सकेगी। जिसे बाद में निर्णायक मंडल द्वारा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के रूप में भी रखा जा सकता है।

गणपूर्ति

27. निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक में गणपूर्ति निम्नानुसार होगी:

फीचर फिल्म: क्षेत्रीय निर्णायक मंडल: 3 सदस्य+अध्यक्ष, केन्द्रीय निर्णायक मंडल: 7 सदस्य+अध्यक्ष, गैर-फीचर फिल्म: 4 सदस्य+अध्यक्ष तथा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन: 1 सदस्य+अध्यक्ष।

(vi) Regional Juries would preview films in Delhi.

(B) CENTRAL JURY

(i) The Central Jury shall comprise a Chairperson and 10 (ten) members.

(ii) Chairpersons of Regional Juries would serve on the Central Jury. In case the Chairperson of Regional Jury is not available, any other member may be nominated to Central Panel by the Ministry, provided the concerned Regional Jury chairpersons gives his/her inability to attend in writing.

(iii) The Central Jury would meet in Delhi.

(iv) The Central Jury would be the apex decision-making body for the various categories of awards, as specified under Schedule-I of the Regulations, based on the recommendations of Regional Juries.

(v) However, the Central Jury shall also have the right to recall a film from among films not recommended by a Regional Jury, provided at least five (5) members of Central Jury (including the Chairperson of Central Jury) agree to such a recall in writing.

24.2 The Regional and Central Juries will determine their own procedure.

24.3 The Chairpersons of the Juries may seek advice of experts in specialized areas, whenever necessary.

NON-FEATURE FILMS

25.1 The Jury for Non Feature Films shall comprise a Chairperson and not more than six (6) members distinguished in the field of cinema, other allied arts and humanities. The Chairperson of the Non Feature Film Jury may constitute a maximum of two panels from amongst the members of the Jury.

25.2 Each panel will recommend not more than 33% of the films viewed by it for combined viewing by the full jury. The non-feature film jury shall have the right to recall not more than such percentage of total number of entries received as has been decided by the jury before the screening of films for the panels starts.

25.3 The Non-Feature Jury will determine their work procedure. The Chairpersons of the Jury may seek advice of experts in specialized areas whenever necessary.

BEST WRITING ON CINEMA

26.1 The awards will be decided by a jury for Best Writing on Cinema will be duly constituted by the Directorate of Film Festivals with the approval of the Government of India. The Jury will consist of three members, including the Chairperson, distinguished in the field of literature or journalism or cinema.

26.2 The Chairperson of the Jury may seek assistance of person conversant with the language in which entries have been accepted.

26.3 The Government of India, after taking into account the number of books/articles entered in a particular language, may at its discretion, constitute small regional panels for that particular language to recommend books/articles, which can then be adjudged by the Jury for Best Writing on cinema.

QUORUM

27. The quorum for the final deliberation of the juries shall be as follows: Feature Films: Regional Panels: 3 Members+ Chairperson, Central Panel: 7 Members+ Chairperson, Non-feature Films: 4 Members+ Chairperson, Best Writing on Cinema: 1 Member+ Chairperson.

भाग ब
फ़ीचर फ़िल्म
Part B
Feature Films

फीचर फिल्म विनियम

पुरस्कार

1. फीचर फिल्म वर्ग में दिए जाने वाले पुरस्कार इन विनियमों की अनुसूची I में दिए गए हैं। यदि एक फिल्म अनुसूची I की (i) से (ix), (xxix) से (xxx) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फिल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फिल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

- 2.1 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फिल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फीचर या फीचरेंट के रूप में प्रमाणीकृत फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी के लिए पात्र है। 35 मि.मि. या चौड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) या सैल्युलाइड प्रारूप में क्षेत्रीय एवं केंद्रीय दोनों निर्णायक मंडलों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फिल्म संसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।
- 2.2 सर्वोत्तम बाल कथाचित्र के पुरस्कार के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्म के रूप में प्रमाणित फिल्मों के अतिरिक्त निर्णायक मंडल द्वारा विचाराधीन बाल फिल्मों भी प्रतियोगिता में शामिल की जाएंगी।
- 2.3 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।
- 2.4 मूक फिल्मों भी अर्ह होंगी।

फिल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

- 3.1 लोकप्रिय एवं स्वस्थ, मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वोत्तम फिल्म के लिए पुरस्कार के मामले में (कृपया अनुसूची I के क्रमांक (iii) को देखें)। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया अधिकतम 10 फिल्मों को नामित कर सकेगा। इन नामांकनों के प्रयोजन के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया निर्धारित प्रपत्र में, संबंधित निर्माताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करेगा तथा उन्हें फिल्म के प्रिंट तथा विनियम पर या उल्लिखित सामग्री/सूचना के साथ दिनांक 20 जनवरी 2015 तक निदेशालय में भेजेगा। इस पुरस्कार के लिए जूरी का चयन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई फिल्मों का नामांकन करने के लिए ही सीमित नहीं होगा अपितु किसी अन्य प्रविष्टि की पात्रता होने पर उस पर भी इस पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत फेडरेशन

FEATURE FILMS REGULATIONS

AWARDS

1. The Awards that will be given in the Feature Films section are given in Schedule I. If the same film qualifies for more than one award from among the categories referred to at (i) to (ix), (xxix) & (xxx) of Schedule I, the producer and/or the director of the film will receive only the higher award, determined on the basis of the cash component. However, this will not debar the producer and/or the director from winning one of these awards for other films.

ELIGIBILITY

- 2.1 Films made in any Indian language, shot on 35 mm or in a wider gauge or digital format but released on a film format or Video/Digital format and certified by the Central Board of Film Certification as a feature film or featurette are eligible for feature film section. Films certified in 35mm or wider format (Celluloid) should be submitted only in 35 mm or wider format. However films certified in Video/Digital format can be submitted either in 35 mm. wider format (celluloid) or in DCP (Unencrypted, DCI Compliant- J2k) , Interop or SMPTE DCP- Note: J2K Interop DCP to be only in 24fps)/ BluRay (region free PAL), for the purpose of viewing by both Regional and Central Juries. The film submitted for selection should invariably display the censor certificate.
- 2.2 In the case of award for Best Children's Film, other than those certified by the Central Board of Film Certification as Children's films, films considered by the Jury as films for Children would also be eligible.
- 2.3 The phrase 'any Indian language' would mean all official languages of the State/Union Territories of the Indian Union. all other Indian languages included in Schedule VIII of the Constitution of India and such other languages and dialects that may be prevalent in India. Producers should submit a certificate from the District Magistrate or Home Secretary or concerned State that the language is prevalent in that area.
- 2.4 Silent films will also be eligible.

PROCEDURE FOR ENTRY OF FILM

- 3.1 The Film Federation of India (FFI) shall have the right to nominate films for the Award for best popular film providing wholesome entertainment (Sl. (iii) of Schedule I). The FFI shall nominate up to a maximum of 10 films for this award. For this purpose, the Film Federation of India shall obtain application in the prescribed form from the Producers concerned and forward those to the Directorate along with the print of the film and the material/information referred to in Regulation, on or before 20th January 2015. The choice of jury for this award shall not be restricted to the nomination of films made by FFI. Any other entry will also be eligible to be considered for

ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित फिल्में अन्य सभी पुरस्कारों के लिए भी पात्र होंगी।

3.2 प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निर्माता निम्नलिखित भी भेजें :-

- (1) (क) फिल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (अनुसूची IV) हेतु प्राधिकार पत्र
- (ख) कथासार (250 शब्दों से कम)
- (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।
- (घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)
- (2) (क) प्रविष्टि हेतु भेजी गई प्रत्येक फिल्म के सभी दस्तावेज एवं पूर्ण विवरण (विशेषकर-कथासार, निर्माता एवं निर्देशक का विस्तृत विवरण, सभी गायकों, अभिनेताओं, प्रत्येक सह-कलाकार द्वारा किए गए अभिनय, सभी गीतों का अनुवाद, प्रत्येक गीत के लिए गायकों एवं गीतकारों के नामों, प्रत्येक गीत के नृत्य संयोजक तथा अन्य तकनीशियनों इत्यादि का विस्तृत विवरण) संभवतः enter4nfa@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजा जाए।
- (ख) यदि निर्माता यह चाहता है कि उसकी फिल्म पर सर्वोत्तम गीत पुरस्कार के लिए विचार किया जाए तो मूल भाषा में गीतों की एक प्रति तथा उनके अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति और फिल्म के गानों की सीडी।
- (ग) वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), “सूचना और प्रसारण मंत्रालय” के पक्ष में एक रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5000/- रुपये एक गैर-प्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क जो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को देय होगा।
- (घ) फिल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा विडियो/डिजिटल प्रारूप में डीसीपी/ब्लूरे टेप्स)। 35 मि.मि. या चौड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि विडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिप्टिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी- नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) या सैल्युलाइड प्रारूप में भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फिल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

this award. The films nominated by FFI under this category will be eligible for all other awards also.

3.2 Along with the Entry Form the following shall also be furnished by the Producer:-

- (1) (a) Authorization Letters for DFF (Schedule III) and NFAI (Schedule IV).
- (b) Synopsis (not exceeding 250 words)
- (c) Two certified copies of certificate issued by the CBFC.
- (d) Affidavit (Annexure I)
- (2) (a) All the documents and details related to each film entry (especially the synopsis (not exceeding 250 words), profiles of producer & director, all singers, actors, the role played by each supporting actor, translation of lyrics of all songs, names of singers and lyricists for each song, choreographer of each song and other technicians etc.) Should be emailed to **enter4nfa@gmail.com**.
- (b) One copy of lyrics in original language along with one copy of English translation and CD of songs of the films, **if the producer desires the film to be considered for the Best Lyrics award.**
- (c) A non-refundable entry fee of Rs.5,000/- through a crossed Demand Draft in favour of “**PAO (MS), Ministry of I & B**” payable at **the State Bank of India, New Delhi.**
- (d) Print of the film (Print or DCP/Bluray tapes in case of films in Video/Digital format). Films certified in 35mm or wider gauge (Celluloid) should be submitted only in the same format. However, films certified in Video/Digital format can be submitted in **35 mm or DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP- Note: J2K Interop DCP to be only in 24fps)/ BluRay (region free PAL).**

अनुसूची-I

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम

पुरस्कारों की श्रेणियां

(i) सर्वोत्तम फीचर फ़िल्म	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ii) निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम फ़िल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iii) लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वोत्तम फ़िल्म के लिए पुरस्कार	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iv) राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वोत्तम फीचर फ़िल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार	(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(v) सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फ़िल्म (यथा-मद्यनिषेध, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयां जैसे-दहेज प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि, विकलांगता, जनजातीय तथा देशज व्यक्ति इत्यादि)	(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vi) पर्यावरण संरक्षण/परिरक्षण पर सर्वोत्तम फ़िल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vii) सर्वोत्तम बाल फ़िल्म	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(viii) सर्वोत्तम कार्टून चित्र	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ग) ऐनिमेटर/कार्टून निर्देशक/डिजाइनर/पर्यवेक्षक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ix) सर्वोत्तम निर्देशन	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(x) सर्वोत्तम अभिनेता	अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xi) सर्वोत्तम अभिनेत्री	अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xii) सर्वोत्तम सह-अभिनेता	सह-अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xiii) सर्वोत्तम सह-अभिनेत्री	सह-अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xiv) सर्वोत्तम बाल कलाकार	बाल कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xv) सर्वोत्तम पार्श्व गायक	पार्श्व गायक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xvi) सर्वोत्तम पार्श्व गायिका	पार्श्व गायिका को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xvii) सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी	(क) कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । (ख) फ़िल्म को प्रोसेसिंग करने वाली लेबोरेटरी को रजत कमल और 50,000 /- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xviii) सर्वोत्तम पटकथा	(क) पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (मौलिक) । (ख) पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (रूपान्तरित) । (ग) संवाद लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xix) सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन	(क) लोकेशन ध्वनि आलेखक (केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए) को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । (ख) ध्वनि डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । (ग) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xx) सर्वोत्तम सम्पादन	सम्पादक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxi) सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिजाइन	प्रोडक्शन डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxii) सर्वोत्तम वेशभूषाकार	वेशभूषाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxiii) सर्वोत्तम मेकअप कलाकार	मेकअप कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxiv) सर्वोत्तम संगीत निर्देशन	(क) संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (गीत) । (ख) संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (बैकग्राउंड संगीत) ।
(xxv) सर्वोत्तम गीत	गीतकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxvi) निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार	निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फ़िल्म या व्यक्ति जो किसी पुरस्कार के अंतर्गत न आते हों, रजत कमल तथा 2,00,000/- रुपये नकद पुरस्कार ।
(xxvii) सर्वोत्तम विशेष प्रभाव	प्रभाव सृजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxviii) सर्वोत्तम नृत्य कला	नृत्य संयोजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxix) संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म	(क) निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । (ख) निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।
(xxx) संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट इतर भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म	(क) निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । (ख) निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार ।

SCHEDULE – I

NATIONAL FILM AWARDS REGULATIONS

CATEGORIES OF AWARDS

(i)	Best Feature Film	(a) Swarna Kamal and Rs. 2,50,000/- to Producer, and (b) Swarna Kamal and Rs. 2,50,000/- to Director.
(ii)	Indira Gandhi Award for Best Debut Film of a Director	(a) Swarna Kamal and Rs. 1,25,000/- to Producer, and (b) Swarna Kamal and Rs. 1,25,000/- to Director.
(iii)	Award for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment	(a) Swarna Kamal and Rs. 2,00,000/- to Producer, and (b) Swarna Kamal and Rs. 2,00,000/- to Director.
(iv)	Nargis Dutt Award for Best Feature Film on National Integration	(a) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Producer, and (b) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Director.
(v)	Best Film on Social Issues (Themes such as prohibition, women and child empowerment, social evils like dowry, drug abuse, empowerment of differently-abled, tribal and indigenous people etc.)	(a) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Producer, and (b) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Director.
(vi)	Best Film on Environment Conservation/ Preservation	(a) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Producer, and (b) Rajat Kamal and Rs. 1,50,000/- to Director.
(vii)	Best Children's Film	(a) Swarna Kamal and Rs. 1,50,000/- to Producer, and (b) Swarna Kamal and Rs. 1,50,000/- to Director.
(viii)	Best Animation Film	(a) Swarna Kamal and Rs. 1,00,000/- to Producer (b) Swarna Kamal and Rs. 1,00,000/- to Director (c) Swarna Kamal and Rs. 1,00,000/- to Animator/ Animation Director/Designer/Supervisor
(ix)	Best Direction	Swarna Kamal and Rs. 2,50,000/- to Director.
(x)	Best Actor	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Actor
(xi)	Best Actress	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Actress
(xii)	Best Supporting Actor	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Supporting Actor
(xiii)	Best Supporting Actress	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Supporting Actress
(xiv)	Best Child Artist	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Child Artist
(xv)	Best Male Playback Singer	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Male Playback Singer
(xvi)	Best Female Playback Singer	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Female Playback Singer
(xvii)	Best Cinematography	(a) Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Cameraman (b) Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Laboratory processing the film
(xviii)	Best Screenplay	(a) Rajat Kamal and Rs. 50,000/- for Screenplay writer (original) (b) Rajat Kamal and Rs. 50,000/- for Screenplay writer (adapted) (c) Rajat Kamal and Rs. 50,000/- for Dialogue Writer

(xix)	Best Audiography	(a)	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Location Sound Recordist (for sync sound films only)
		(b)	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Sound Designer
		(c)	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Re-recordist of the final mixed track
(xx)	Best Editing		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Editor
(xxi)	Best Production Design		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Production Designer
(xxii)	Best Costume Designer		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Costume Director
(xxiii)	Best Make-up Artist		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Make-up Director
(xxiv)	Best Music Direction	(a)	Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Music Director (Songs)
		(b)	Rajat Kamal Rs. 50,000/- to Music Director (Background Score)
(xxv)	Best Lyrics		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Lyricist
(xxvi)	Special Jury Award		Rajat Kamal and Rs. 2,00,000/- to be given at the sole discretion of the Jury to a film or to an individual not already covered by the awards.
(xxvii)	Best Special Effects		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Special Effects Creator
(xxviii)	Best Choreography		Rajat Kamal and Rs. 50,000/- to Choreographer
(xxix)	Best Feature Film in each of the language specified in the Schedule VIII of the Constitution	a)	Rajat Kamal and Rs. 1,00,000/- to Producer and
		b)	Rajat Kamal and Rs. 1,00,000/- to Director
(xxx)	Best Feature Film in each of the languages other than those specified in Schedule VIII of the Constitution	a)	Rajat Kamal and Rs. 1,00,000/- to Producer
		b)	Rajat Kamal and Rs. 1,00,000/- to Director

62वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार—2014
प्रविष्टि प्रपत्र
फ़ीचर फ़िल्म
62nd NATIONAL FILM AWARDS-2014
ENTRY FORM
FEATURE FILMS

Note/टिप्पणी

1. Please exercise great care in filling this form. Details entered against each column in the application would be deemed to be final for the purpose of determination of Awards. No request for change of details would be entertained at any stage.
1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. The Producer/Production Company must ensure that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film.
2. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये “क्रेडिट टाइटल्स” के अनुरूप ही हों।
3. While furnishing information in column 14 of the entry form, the Producer/Production company should ensure that complete postal address, e-mail address, telephone number, mobile phone number and fax number(if any) is furnished.
3. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नं., मोबाइल फोन नं., फ़ैक्स नं. (यदि कोई हो) दिया जाये।

1. Demand Draft No. and Date:

1. डिमांड ड्राफ्ट नं. और तारीख :

Bank on which drawn:

किस बैंक से लिया गया :

2. Title of the Film: In Roman Script
In Devnagri
English translation of the film title

2. फ़िल्म का शीर्षक :
(क) रोमन लिपि में
(ख) देवनागरी लिपि में
(ग) फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद

3. Language: (Please mention if the film has no dialogues)

3. भाषा : (यदि फ़िल्म में संवाद न हों तो इंगित करें)

4. Whether subtitled in English language:

4. क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं :

5. Whether it is the Director's Debut Film : Yes/No

5. क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है : हां/ नहीं

6. Length of the film in meters (if on a film format) :

(As certified in censor certificate)

6. फ़िल्म की लम्बाई मीटरों में (यदि फ़िल्म प्रारूप में है) (जैसे कि सेंसर प्रमाण पत्र में प्रमाणित है) :

7. Running Time :	Minutes
7. कितने समय की है :	मिनट
8. Number of reels/tapes :	
8. रीलों/टैपों की संख्या :	
9. Format: 35 mm	Video/Digital
9. प्रारूप : 35 मि.मी.	वीडियो/डिजिटल
10. Colour/Black & White	
10. रंगीन/श्वेत-श्याम	
11. Number and Date of Censor Certificate	
11. सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख	
12. Company Registration details: (If any)	
12. कंपनी का पंजीकरण विवरण : (यदि कोई है)	
13. Title registration details: (If any)	
13. शीर्षक का पंजीकरण विवरण : (यदि कोई है)	
14. Name, address and telephone number of the following	
(a) Producer:	
(i) Whether citizen of India (Yes/No) (If not please mention the Country of citizenship)	
(ii) In case of more than one producer and in case the film wins an award, please state name of ONLY one producer who would receive the award on behalf of other producers	
14. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.	
(क) निर्माता :	
(i) क्या भारतीय नागरिक है : (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)	
(ii) यदि किसी फिल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फिल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।	
(b) Director: (Whether citizen of India)	Yes/No
(If not please mention the Country of citizenship)	
(ख) निर्देशक : क्या भारतीय नागरिक है :	हां/नहीं
(यदि नहीं, तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)	
(c) Screenplay Writer	
(i) Original Screenplay	
(ii) Adapted Screenplay	
For adapted screenplay, please mention/submit the following:-	
1. Name of the story writer.	
2. A copy of the original work	
3. Whether the work is under public domain	Yes/No
Without above information and documents, the film will not be considered for this particular award.	
(iii) Dialogues	
(ग) पट कथा लेखक :	
(i) मौलिक पटकथा लेखक	
(ii) रूपान्तरित पटकथा लेखक	
(क्या फिल्म मौलिक पटकथा पर आधारित है। यदि हाँ, तो कृपया मूल पटकथा लेखक का नामोल्लेख करें। यदि फिल्म मौलिक पटकथा पर आधारित नहीं है एवं रूपान्तरित पटकथा पर आधारित है तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें/जमा करें)	
1. मूल कहानी के लेखक का नाम	
2. मूल रचना की एक प्रति	
3. क्या रचना का स्वामित्व सार्वजनिक है	हां/नहीं
उपरोक्त सूचना एवं कागजात के बिना इस पुरस्कार के लिए फिल्म पर, विचार नहीं किया जायेगा।	
(iii) संवाद लेखक	
(d) Lead Actor: (a) Name	
(b) Screen Name	
Voice-original/dubbed	

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(x) of Schedule I

- (घ) मुख्य अभिनेता : (अ) नाम
(ब) स्क्रीन नाम

स्वर-मूल/डब

टिप्पणी : संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची I की क्रम सं. (x) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

-
- (e) Lead Actress: (a) Name :
(b) Screen Name :
Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xi) of Schedule I

- (ड) मुख्य अभिनेत्री : (अ) नाम
(ब) स्क्रीन नाम
स्वर-मूल/डब

टिप्पणी : संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची I की क्रम सं. (xi) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

- (f) Supporting Actor : (a) Name
(b) Screen Name
Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xii) of Schedule I

- (च) सह अभिनेता : (अ) नाम
(ब) स्क्रीन नाम
स्वर- मूल/डब

टिप्पणी : संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची I की क्रम सं. (xii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

- (g) Supporting Actress: (a) Name
(b) Screen Name
Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xiii) of Schedule I

- (छ) सह अभिनेत्री: (अ) नाम
(ब) स्क्रीन नाम
स्वर-मूल/डब

टिप्पणी : संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची I की क्रम सं. (xiii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

- (h) Child Artist: (a) Name
(b) Screen Name
Voice-original/dubbed

Note: Dubbing of dialogues by some other artist will make the entry ineligible for award at Sl.(xiv) of Schedule I

- (ज) बाल कलाकार: (अ) नाम
(ब) स्क्रीन नाम
स्वर-मूल/डब

टिप्पणी : संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची I की क्रम सं. (xiv) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी

- (i) Cinematographer:

Note: Please state clearly if the film was originally shot on a digital/video format

- (झ) सिनेमैटोग्राफर :

टिप्पणी : कृपया स्पष्ट करें यदि फिल्म डिजिटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है

- (j) Audiographer(s)
(i) Location Sound Recordist (for sync sound films only)
(ii) Sound Designer
(iii) Re-recordist of the final mixed Track

- (ज) ध्वनि आलेखक :
(i) लोकेशन ध्वनि आलेखक (केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए)
(ii) ध्वनि डिजाइनर
(iii) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक
-

- (k) Editor:
(ट) सम्पादक :
-

(l) Production Designer : (ठ) प्रोडक्शन डिजाइनर :
(m) Costume Designer(s) : (ड) वेशभूषाकार :
(n) Make-Up Director (s) : (ढ) श्रृंगार निर्देशक :
(o) Music Director(s): (i) Music Director (Songs) (Names of music director may be mentioned for each song separately). (ii) Music Director (Background Score) (ण) संगीत निर्देशक : (i) संगीत निर्देशक (गीत) (प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें): (ii) संगीत निर्देशक (बैकग्राउंड संगीत)
(p) Lyricist: (Names of lyricist may be mentioned for each song separately). (त) गीतकार : (प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें):
(q) Playback Singer (Male): (Name of Plaback Singer (Male) may be mentioned for each song separately). (थ) पार्श्व गायक : (प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें):
(r) Playback Singer (Female): (Name of Plaback Singer (Female) may be mentioned for each song separately). (द) पार्श्व गायिका : (प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें):
(s) Animator (in case of an animation film) : (ध) ऐनीमेटर (कार्टून फिल्म के मामले में)
(t) Choreographer(s): (न) नृत्य संयोजक :
(u) Special Effects Creator: (प) विशेष प्रभाव सृजक :
15. Date of release of the Film: 15. फिल्म की रिलीज होने की तारीख :
16. Print of the film to be returned to: Name : Postal Address (with Pin Code number) : Tele: (M) (O) (Fax) Email : Website :
16. फिल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए : नाम : डाक का पता (पिन कोड सहित) : दूरभाष : मोबाइल : कार्यालय : फ़ैक्स: ई-मेल : वेबसाइट :
17. Authorisation Letters in favour of DFF and NFAI are enclosed: Yes/No 17. फिल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न है :- हां/नहीं

18. I/we have No Objection for screening of this film for jury or any of their panels, for non-commercial public shows of the film as part of promotion of quality Indian cinema within India and abroad in festivals/ special expositions organized/ supported by the Directorate of Film Festivals in any format (print or digital) as well as promotion of the film through the use of film stills/ posters and trailers/ visual clips. I/we also assure that this No Objection for the Directorate will remain valid notwithstanding any rights assigned by me/us to any other individual/ organization for screening the film in any territory on commercial/ non-commercial basis in future.

18. मुझे/हमें इस फिल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फिल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फिल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप (प्रिंट अथवा डिजिटल) में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फिल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फिल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

19. (a) I/We have gone through the National Film Awards Regulations and I/We accept these Regulations.

(b) **I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF JURY OF NATIONAL FILM AWARDS AS FINAL AND BINDING.**

(c) **THE DECISION OF THE JURIES SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE MADE BY ME/US.**

19. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) मैं/हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के निर्णायक मंडल के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी स्वीकार करने को तैयार हैं।

(ग) निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम निर्णायक मंडल के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार नहीं करेंगे।

20. I/We certify that the film entered is **NOT** a dubbed/revised/copied version of a film.

20. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रविष्टि फिल्म का डब/संशोधित/नकल किया हुआ रूपांतर नहीं है।

21. I/We certify that the musical score used is original.

21. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रयुक्त संगीत **मौलिक** है।

22. I also certify that the film in no way violates any provisions of the Indian Copyright Act, 1957.

22. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फिल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

23. I/We hereby declare that the information provided is true to the best of my/our knowledge and corresponds with the credit titles of the film. I/we also understand that the Directorate has the right to reject any entry, at any stage, if the information entered in this form is found to be incomplete or incorrect.

23. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फिल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

Signature

हस्ताक्षर

(Seal)

(मुहर)

Date :

तारीख :

Name, full address and telephone number of the person making the entry:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नं.

Name (Block Letters)

नाम (साफ अक्षरों में)

Address Telephone No.(Off.) (Res.)
पता टेलीफोन नं. (कार्यालय) (निवास)

Mobile:

मोबाइल :

Fax

फैक्स :

E mail

ई-मेल :

फीचर फिल्म

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र (दो प्रतियां)
2. रु 5000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट
3. फिल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र
4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक I)
5. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. प्रिन्ट/डीसीपी/ब्लूरे
7. ऑडियो सी डी
8. गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद।
9. कथासार (हार्ड कॉपी तथा ई मेल enter4nfa@gmail.com द्वारा)
10. फिल्म की 20 तस्वीरें, 600 डी पी आई या 20-25 एम बी – केवल ई मेल करें।
11. निदेशक की 05 तस्वीरें, 600 डी पी आई या 20-25 एम बी – केवल ई मेल करें।

Feature Films

Check List

1. Entry Form (two copies).
2. Demand Draft for Rs 5000/-.
3. Authorization Letter for DFF & NFAL.
4. Affidavit (Annexure I).
5. CBFC Certificate.
6. Print / DCP/Bluray.
7. Audio CD.
8. One copy of Lyrics in original language & its English translation.
9. Synopsis (Hard copy as well as by e-mail to enter4nfa@gmail.com).
10. Film stills (20nos.) 600 dpi or 20-25 MB – **to be sent only by e-mail.**
11. Director's working stills (5 nos.) 600 pi or 20-25 MB – **to be sent only by e-mail.**

अनुलग्नक-I

62वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम 2014

शपथ पत्र

(फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि :

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।
- (4) प्रस्तुत फिल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (5) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फिल्म/वीडियो में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

निर्माता का नाम : _____

पता : _____

मोबाइल : _____

दूरभाष (का.) _____

ANNEXURE - I

62ND NATIONAL FILM AWARDS FOR THE YEAR 2014

AFFIDAVIT

(FOR FEATURE FILMS)

(TO BE SUBMITTED ON NON JUDICIAL STAMP PAPER OF VALUE RS. 20/- OR MORE)

Title of the Film

I declare that :

- (1) The information furnished by me in the Entry Form and other related forms is true to the best of my knowledge.
- (2) It is certified that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film.
- (3) It is certified that the musical score used is original.
- (4) The print/video of the film submitted, represents the **ORIGINAL FIRST** version certified by CBFC.
- (5) **NO CHANGE WHATSOEVER** has been made in the film/video after original certification by the Central Board of Film Certification.

Name of the Producer: _____

Address: _____

Mobile: _____

Tele: (O) _____

भाग स
गैर फ़ीचर फ़िल्म
Part C
Non-Feature Films

गैर फीचर फिल्म विनियम

NON-FEATURE FILMS REGULATIONS

पुरस्कार

1. गैर फीचर फिल्म वर्ग के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार अनुसूची-II में दिए गए हैं। यदि एक फिल्म अनुसूची (i) की (xvii) से में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फिल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फिल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

- 2.1 भारत में स्थित फिल्म संस्थानों के विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर फीचर फिल्मों प्रविष्टि के लिए पात्र होंगी यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों के माध्यम से भेजी गई हों।
- 2.2 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फिल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वृत्त-चित्र/न्यूजरील/गैर-कथाचित्र/सर्वोत्तम लघु कल्पित के रूप में प्रमाणीकृत फिल्म गैर फीचर फिल्म वर्ग के लिए पात्र है।
- 2.3 35 मि.मि. या चौड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिप्टेड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल)/डीवी कैम या सैल्युलाइड प्रारूप में निर्णायक मंडल द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फिल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।
- 2.4 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।
- 2.5 मूक फिल्मों भी अर्ह होंगी।
- 2.6 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन, कंपनियों तथा फिल्म तथा मीडिया संस्थानों के विद्यार्थियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी। फिल्म और मीडिया संस्थानों से प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जायेगी कि वह फिल्म गैर-कथाचित्र/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत रूप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतन्त्र रूप से बनाई फिल्म हो।

AWARDS

1. The awards that will be given in the Non-Feature Films section are given in Schedule II of these Regulations. If the same film qualifies for more than one award from among the categories referred to at (i) to (xvii) of Schedule II, the producer and /or the director of the film will receive only the higher award, determined on the basis of the cash component. However, this will not debar the producer and/ or the director from winning one of these awards for other films.

ELIGIBILITY

- 2.1 Non-feature films directed by foreign students of Film Institutes situated in India, will be eligible, if their entries are sent through their respective Institutes
- 2.2 Films made in any Indian language, shot on 35mm or in a wider gauge or digital format but released on either film format or Video/Digital format and certified by the Central Board of Film Certification as a Documentary/Newsreel/ Non-Fiction/ Short Fiction are eligible for non-feature film section.
- 2.3 Films certified in 35mm or in wider gauge (Celluloid) should be submitted only in 35 mm. However, films certified in Video/Digital format can be submitted either in 35 mm or in DCP (unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP- Note: J2K Interop DCP 24fps) / BluRay (region free PAL) or DV Cam format. The film submitted for selection should invariably display the censor certificate.
- 2.4 The phrase ‘any Indian language’ would mean all official languages of the State/Union Territories of the Indian Union, all other Indian languages included in Schedule VIII of the Constitution of India and such other languages and dialects that may be prevalent in India. Producer should submit a certificate from the District Magistrate or Home Secretary of concerned State that the language is prevalent in that area.
- 2.5 Silent films will also be eligible.
- 2.6 A maximum of seven entries would be allowed from individuals, producers, Production Units, Government organizations, companies. Entries from film and media institutions will be accepted with the condition that the film entered is the final year Documentary / Diploma films of the students’. The entry should be duly certified by the Institute that the film is independent work of the student.

फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3. प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित भी भेजा जाए :-
- (क) फ़िल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (अनुसूची IV) हेतु प्राधिकार पत्र
- (ख) कथासार (250 शब्दों से कम) (enter4nfa@gmail.com पर ई मेल भी करें)
- (ग) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।
- (घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)
- (ङ) वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), “सूचना और प्रसारण मंत्रालय” के पक्ष में एक रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2000/- रुपये एक गैर-प्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क जो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को देय होगा।
- (च) फ़िल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा विडियो/डिजिटल प्रारूप में डीसीपी/ब्लूरे/डीवी कैम)
- (छ) निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, संगीत निर्देशक ध्वनि आलेखक, संपादक, प्राक्कथक, संगीत निर्देशक, एनीमेटर (कार्टून फ़िल्मों के मामले में) की संक्षिप्त जीवनियां और प्रत्येक के दो-दो फोटो (केवल enter4nfa@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजे जाएं)

PROCEDURE FOR ENTRY OF FILM

3. The following shall be furnished along with the entry form:-
- (a) Authorization Letters for of DFF (Schedule III) and NFAI (Schedule IV).
- (b) Synopsis (not exceeding 250 words) (should also be e-mailed on enter4nfa@gmail.com)
- (c) Two certified copies of certificate issued by the CBFC.
- (d) Affidavit (Annexure I)
- (e) A non-refundable entry fee of Rs.2,000/- through a crossed Demand Draft in favour of “**PAO (MS), Ministry of I & B**” payable at **the State Bank of India, New Delhi.**
- (f) Print of the film (Print or DCP/Bluray/DV CAM in case of films in Video/Digital Format).
- (g) Short biographical sketches of producer, director, cameraman, audiographer, editor, narrator, music director and animator (in case of animation films) along with two photographs (only by e-mail enter4nfa@gmail.com)

अनुसूची-II

पुरस्कार की श्रेणियां

(i) सर्वोत्तम गैर फीचर फिल्म	(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ii) निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम गैर फीचर फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iii) सर्वोत्तम मानवशास्त्रीय / मानवजातीय फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(iv) सर्वोत्तम जीवनी / ऐतिहासिक पुनर्निर्माण / संकलन फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(v) सर्वोत्तम कला / सांस्कृतिक फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vi) सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं तकनीकी फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(vii) सर्वोत्तम प्रोत्साहन देने वाली फिल्म (पर्यटन, निर्यात, कारीगरी, उद्योग विषयों को शामिल करना)	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(viii) सर्वोत्तम पर्यावरण फिल्म (कृषि सहित)।	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ix) सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म (यथा—मद्यनिषेध, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयां जैसे—दहेज प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि, विकलांगता, जनजातिय तथा देशज व्यक्ति इत्यादि)	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(x) सर्वोत्तम शैक्षिक फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xi) सर्वोत्तम गवेषणा/साहसी फिल्म (खेलों को शामिल करना)	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xii) सर्वोत्तम खोजी फिल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(xiii) सर्वोत्तम कार्टून चित्र	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (ग) एनीमेटर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiv) निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार	रजत कमल और 1,00,000/– रुपये का नकद पुरस्कार निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फ़िल्म या व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे पहले कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
(xv) सर्वोत्तम लघु कल्पित फ़िल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvi) परिवारिक मूल्यों पर सर्वोत्तम फ़िल्म	(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xvii) सर्वोत्तम निर्देशन	निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xviii) सर्वोत्तम छायांकन	(क) कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार। (ख) फ़िल्म प्रोसेसिंग करने वाली प्रयोगशाला को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xix) सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन	अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xx) सर्वोत्तम संपादन	संपादक को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxi) सर्वोत्तम संगीत निर्देशन	संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।
(xxii) सर्वोत्तम प्रकथन/वायस ओवर	सर्वोत्तम प्रकथन/वायस ओवर आर्टिस्ट को रजत कमल और 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार।

SCHEDULE-II

CATEGORIES OF AWARDS

- | | |
|---|---|
| (i) Best Non-feature film | (a) Swarna Kamal and a cash prize of Rs.1,50,000/- to the Producer, and
(b) Swarna Kamal and a cash prize of Rs.1,50,000/- to the Director. |
| (ii) Best Debut Non-feature film of a Director | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.75,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.75,000/- to the Director. |
| (iii) Best Anthropological/Ethnographic Film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (iv) Best Biographical/Historical Reconstruction/ compilation film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (v) Best Arts/Cultural film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (vi) Best Science & Technology Film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (vii) Best Promotional film (to cover tourism, exports, crafts, industry, etc.) | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (viii) Best Environment film including Agriculture | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (ix) Best film on Social issues
(Themes such as prohibition, women and child empowerment, social evils like dowry, drug abuse etc., empowerment of differentlyabled people, tribal and indigenous people etc.) | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (x) Best Educational Film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (xi) Best Exploration/ Adventure film
(to include sports) | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (xii) Best Investigative Film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director. |
| (xiii) Best Animation Film | (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director.
(c) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Animator |

- (xiv) Special Jury Award Rajat Kamal and a cash prize of Rs.1,00,000/- to be given at the sole discretion of the Jury to a film or to an individual not already covered by the awards.
- (xv) Short Fiction Film (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director.
- (xvi) Best Film on Family Values (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Producer, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Director.
- (xvii) Best Direction Swarna Kamal and a cash prize of Rs.1,50,000/- to the Director
- (xviii) Best Cinematography (a) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Cameraman, and
(b) Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Laboratory processing the film
- (xix) Best Audiography Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 50,000/- to the Re-recordist of the final mixed track
- (xx) Best Editing Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Editor
- (xxi) Best Music Direction Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Music Director
- (xxii) Best Narration/Voice Over Rajat Kamal and a cash prize of Rs.50,000/- to the Best Narrator/Voice Over Artist.

7. Running Time : Minutes
7. कितनी अवधि की है : मिनट
8. Number of reels/tapes :
8. रीलों/टेपों की संख्या :
9. Format: 35 mm or Video/Digital
9. प्रारूप : 35 मि.मी. अथवा वीडियो/डिजिटल
10. Colour/Black & White
10. रंगीन/श्वेत-श्याम
11. Number and Date of Censor Certificate
11. सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख
12. Company Registration details: (If any)
12. कंपनी का पंजीकरण विवरण : (यदि कोई है)
13. Title registration details: (If any)
13. शीर्षक का पंजीकरण विवरण : (यदि कोई है)
14. Name, address and telephone number of the following
14. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.
(a) Producer:
(i) Whether citizen of India (Yes/No) (If not please mention the Country of citizenship)
(ii) In case of more than one producer and in case the film wins an award, please state name of ONLY one producer who would receive the award on behalf of other producers
(क) निर्माता :
(i) क्या भारतीय नागरिक है : (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)
(ii) यदि किसी फिल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फिल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
(b) Director :
Whether citizen of India : (Yes/No) (If not please mention the Country of citizenship)
(ख) निर्देशक :
क्या भारतीय नागरिक है : (हां/नहीं) (यदि नहीं, तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)
(c) Cinematographer:
Note: Please state clearly if the film was originally shot on a digital/video format
(ग) सिनेमैटोग्राफर :
टिप्पणी : कृपया स्पष्ट करें यदि फिल्म डिजिटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है
(d) Audiographer(s)
(i) Re-recordist of the final mixed Track
(घ) ध्वनि आलेखक :
(i) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक
(e) Editor:
(ङ) सम्पादक :

(f) Music Director(s) :

Note; Please state if the Musical Score is original

(च) संगीत निर्देशक :

टिप्पणी : कृपया उल्लेख करें कि संगीत मौलिक है

(g) Narrator/Voice Over Artist:

(छ) प्रकथन/वॉयस ओवर कलाकार:

15. Date of release of the Film:

15. फिल्म की रिलीज होने की तारीख:

16. Print of the film to be returned to:

Name :

Postal Address (with Pin Code number) :

Tele :

(M)

(O)

(Fax)

Email :

Website :

16. फिल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए :

नाम :

डाक का पता (पिन कोड सहित) :

दूरभाष :

मोबाइल :

कार्यालय :

फैक्स :

ई-मेल :

वेबसाइट :

17. Authorisation Letters in favour of DFF and NFAI are enclosed:

Yes/No

17. फिल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न है :-

हां/नहीं

18. I/we have No Objection for screening of this film for jury or any of their panels, for non-commercial public shows of the film as part of promotion of quality Indian cinema within India and abroad in festivals/ special expositions organized/ supported by the Directorate of Film Festivals in any format (print or digital) as well as promotion of the film through the use of film stills/ posters and trailers/ visual clips. I/we also assure that this No Objection for the Directorate will remain valid notwithstanding any rights assigned by me/us to any other individual/ organization for screening the film in any territory on commercial/ non-commercial basis in future.

18. मुझे/हमें इस फिल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फिल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/ प्रोत्साहित विभिन्न फिल्म समारोहों/ विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप (प्रिंट अथवा डिजीटल) में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फिल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फिल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

19. (a) I/We have gone through the National Film Awards Regulations and I/We accept these Regulations.

(b) **I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF JURY OF NATIONAL FILM AWARDS AS FINAL AND BINDING.**

(c) **THE DECISION OF THE JURIES SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE MADE BY ME/US.**

19. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) मैं/हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के निर्णायक मंडल के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी स्वीकार करने को तैयार हैं।

(ग) निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम निर्णायक मंडल के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार नहीं करेंगे।

20. I/We certify that the film entered is **NOT** a dubbed/revised/copied version of a film.

20. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रविष्टि फिल्म का डब/संशोधित/नकल किया हुआ रूपांतर नहीं है।

21. I/We certify that the footage acquired for the film has proper permissions and due credits have been given in the film.

21. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फिल्म में अधिगृहीत दृश्यों के लिए यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है एवं इसे शीर्षकों में दर्शाया भी गया है।

22. I/We certify that the musical score used is *original*.

22. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत **मौलिक** है।

23. I also certify that the film in no way violates any provisions of the Indian Copyright Act, 1957.

23. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फिल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट, 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

24. I/We hereby declare that the information provided is true to the best of my/our knowledge and corresponds with the credit titles of the film. I/we also understand that the Directorate has the right to reject any entry, at any stage, if the information entered in this form is found to be incomplete or incorrect.

24. मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फिल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूँ/ करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

Signature

हस्ताक्षर

(Seal)

(मुहर)

Date :

तारीख :

Name, full address and telephone number of the person making the entry:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नं.

Name (Block Letters)

नाम (साफ अक्षरों में)

Address

पता

Telephone No.(Off.)

टेलीफोन नं. (कार्यालय)

(Res.)

(निवास)

Mobile:

मोबाइल :

Fax

फैक्स :

E mail

ई-मेल :

गैर फीचर फ़िल्म

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र (दो प्रतियां)
2. रु 2000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट
3. फ़िल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र
4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक I)
5. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. प्रिन्ट/ब्लूरे/डीसीपी/डीवी कैम
7. कथासार (हार्ड कॉपी तथा ई मेल enter4nfa@gmail.com द्वारा)
8. फ़िल्म की 20 तस्वीरें, 600 डी पी आई या 20-25 एम बी – केवल ई मेल करें।
9. निर्देशक की 05 तस्वीरें, 600 डी पी आई या 20-25 एम बी – केवल ई मेल करें।

Non-Feature Films

Check list for films

1. Entry Form (two copies).
2. Demand Draft for Rs 2000/-
3. Authorization Letter for DFF & NFAI
4. Affidavit (Annexure I).
5. CBFC Certificate.
6. Print/ Bluray /DCP /DV CAM
7. Synopsis (Hard copy as well as by e-mail to enter4nfa@gmail.com).
8. Film stills (20nos.) 600 dpi or 20-25 MB – **to be sent only by e-mail.**
9. Director's working stills (5 nos.) 600 pi or 20-25 MB – **to be sent only by e-mail.**

अनुलग्नक-I

62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014

शपथ पत्र

(गैर-फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फिल्म का शीर्षक :

मैं घोषणा करता हूँ कि :

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रस्तुत फ़िल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (4) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फ़िल्म/वीडियो में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
- (5) मेरी फ़िल्म का संगीत मौलिक है।
- (6) सम्पूर्ण फुटेज मौलिक है।
- (7) फिल्म में जहां भी संचित दृश्यों को प्रयोग किया है उसकी यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है :
 - (अ) मैं संचित दृश्यों की पूरी सूची प्रत्येक शॉट की अवधि के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (ब) मैं संचित दृश्यों के प्रयोग के प्राधिकार के अनुज्ञापत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (स) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

निर्माता का नाम : _____

पता : _____

मोबाइल : _____

दूरभाष (का.) _____

ANNEXURE - I

62nd NATIONAL FILM AWARDS FOR THE YEAR 2014

AFFIDAVIT

(For Non-Feature Films)

(To be submitted on Non Judicial Stamp Paper of value Rs. 20/- or more)

Title of the Film:

I declare that :

- (1) The information furnished by me in the Entry Form and other related forms is true to the best of my knowledge.
- (2) It is certified that the names indicated in the entry form tally with the credit titles appearing in the film.
- (3) The print/video of the film submitted, represents the **ORIGINAL FIRST** version certified by CBFC.
- (4) **NO CHANGE WHATSOEVER** has been made in the film/video after original certification by the Central Board of Film Certification.
- (5) The music score in my film is **ORIGINAL**.
- (6) The entire footage is **ORIGINAL**.
- (7) Wherever stock footage has been used in the film, due permission have been obtained and :
 - (a) I am enclosing a complete list of stock shots used with durations of each shot.
 - (b) I am enclosing certified copies of permissions allowing authorized use of the stock footage.
 - (c) It is certified that the musical score used is original.

Name of the Producer: _____

Address: _____

Mobile: _____

Tele: (O) _____

भाग द
सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन
Part D
Best Writing on Cinema

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन विनियम

पुरस्कार :

1. इस वर्ग में निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :

सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक

- (क) पुस्तक के लेखक/लेखकों को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। संयुक्त लेखकों की दशा में नकद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बराबर-बराबर बांटा जाएगा।
- (ख) पुस्तक के प्रकाशक को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

सर्वोत्तम फ़िल्म समीक्षक :

- (ग) स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

पात्रता :

- 2.1 **01 जनवरी 2014 तथा 31 दिसम्बर 2014** (दोनों दिन शामिल) के बीच सिनेमा पर किसी भी भाषा में भारत में प्रकाशित कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र है।
- 2.2 “सर्वोत्तम फ़िल्म समीक्षक” पुरस्कार 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में किसी भी भाषा में भारतीय समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और मैगजीनों में सिनेमा पर प्रकाशित समालोचनात्मक अध्ययनों के लिए, सर्वोत्तम समीक्षक को दिया जाएगा।
- 2.3 उसी लेखक के उन लेखों के संग्रह, जो पात्रता की अवधि के अन्दर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए हों, भी पात्र हैं।
- 2.4 अनुवाद, संक्षेप तथा सम्पादित या समीक्षा और पुनर्मुद्रण संबंधी रचनाएं पात्र नहीं हैं।
- 2.5 लेखक/समीक्षक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 2.6 आयोजकों के स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा लिखी पुस्तक और/अथवा किसी लेख को प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2.7 लेख प्रिन्ट मीडिया के उन नियमित प्रकाशनों या समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए जो कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) में पंजीकृत हों।

प्रविष्टि की प्रक्रिया :

- 3.1 सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि उसके लेखक या प्रकाशक द्वारा की जा सकती है। सर्वोत्तम फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि स्वयं समीक्षक द्वारा अथवा समाचार पत्र/पत्रिका मैगजीन के प्रकाशक/संपादक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु पुरस्कार केवल लेखक/समीक्षक को ही दिया जाएगा।
- 3.2 प्रकाशक/कम्पनी भारतीय होने चाहिए।
- 3.3 निदेशालय के विचार के लिए प्रकाशक/लेखक के पूरे पते के साथ पुस्तकें/लेखों की अनुसंशा फेडरेशन ऑफ़ फिल्म सोसाइटीज

BEST WRITING ON CINEMA REGULATIONS

AWARDS

1. The following awards will be given under this category:

BEST BOOK ON CINEMA:

- (a) Swarna Kamal and a cash prize of Rs.75,000/- to the author/ authors of the book. In case of Joint authors, the cash prize will be equally divided among the recipients.
- (b) Swarna Kamal and a cash prize of Rs.75,000/- to the Publisher of the book.

BEST FILM CRITIC:

Swarna Kamal and a cash prize of Rs.75,000/-.

ELIGIBILITY:

- 2.1 The award for Best Book on Cinema will be given to any book on Cinema published in India in any language between **1st January 2014 and 31st December 2014 (both Days inclusive)**.
- 2.2 The award for “**Best Film Critic**” will be given to the best critic of the year for critical Studies, reviews or articles on cinema published in Indian newspapers, magazines, And journals between **1st January 2014 and 31st December 2014 in any language**.
- 2.3. Anthologies of articles written by the same author, but published in a book form within the eligibility period are also eligible.
- 2.4 Translation, Abridgements, edited or annotated works and reprints are **NOT** eligible.
- 2.5 Author/Critic should be an Indian National.
- 2.6 Entry of a book and/or article written by any member of staff of the Organizers will not be permissible.
- 2.7 Articles should have been published in print media in regular journals and newspapers registered with Registrar of Newspapers of India (RNI).

PROCEDURE FOR ENTRY

- 3.1 Entry can be submitted in the case of Award for **Best Book on Cinema**, by its Author or Publisher. In the case of Award for the **Best Film Critic** entry can be submitted by the Critic Himself/herself or by the Publisher / Editor of the Newspaper / Magazine / Journal but the award will be given only to the author / critic.
- 3.2 The publishers/companies should be an Indian entity.
- 3.3 Books / articles can be recommended for consideration of the Directorate by the Film societies affiliated to the Federation of Film Societies of India, by the Film

ऑफ इंडिया से सम्बद्ध संस्थाओं, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, साहित्य कला अकादमियों या किसी भी मान्यता-प्राप्त साहित्य-सांस्कृतिक संगठन द्वारा की जा सकती है। फिर निदेशालय पुरस्कारों के लिए विचार हेतु इस प्रकार के लेखकों से अपनी पुस्तकों/लेखों की प्रविष्टि भेजने हेतु सम्पर्क करेगा। यदि कोई प्रकाशक/लेखक पुरस्कारों के लिए अपनी रचनाओं की प्रविष्टि नहीं करता है तो उन पर निर्णायक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3.4 **सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक** के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में प्रविष्टि फार्म के साथ निम्नलिखित भेजा जाएगा :

- (क) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि पुस्तक की 5 प्रतियां।
- (ख) पुस्तक के सारांश की अंग्रेजी/हिंदी में 5 प्रतियां।
- (ग) लेखक/लेखकों तथा प्रकाशक/प्रकाशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त (200 शब्दों में) (अंग्रेजी/हिन्दी में)।
- (घ) लेखक/लेखकों की उच्च रेज्यूलेशन के 5 फोटो और पुस्तक के कवरपेज की स्कैन की हुई प्रति।

3.5 **सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक** के पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में, प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएं :-

(क) रचनाओं की कतरन जो 5 से कम तथा 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (1) समाचार पत्रों, प्रकाशनों आदि के नाम, जिनमें ये छपी हों
- (2) प्रकाशन की तारीख/स्थान। प्रविष्टि पत्र के साथ प्रत्येक कतरन की 5-5 छायाप्रतियां अवश्य संलग्न हों।

(ख) समीक्षक का संक्षिप्त हिंदी या अंग्रेजी में जीवन-वृत्त (अधिकतम 250 शब्दों में)।

(ग) समीक्षक के कार्य की उच्च रेज्यूलेशन 5 तस्वीरें।

3.6 रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रुपये 2000/- का अप्रत्यर्पणीय प्रविष्टि शुल्क, जो वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाम हो तथा भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली पर देय हो।

Federation of India, Sahitya Kala Academies or any recognized literary cultural Organization. The Directorate may then contact such authors to enter their books/articles For consideration for the awards. If the publisher / author do not enter their works for the Awards, these will not be considered by the Jury.

3.4 In the case of entries for the Award for **Best Book on Cinema**, the following shall be furnished along with the entry form :-

- (a) 5 copies of the book
- (b) 5 copies of brief summary of the book in English / Hindi;
- (c) Short biographical sketch (200 words) of the author(s);and the publisher(s) in English/Hindi;
- (d) 5 high-resolution working still of the author(s) and a high resolution scanned image of coverpage of the book.

3.5 In the case of entries for the award for the **Best Film Critic**, the following must be furnished along with the entry form:

(a) Clipping of the works, which should **not be less than 5 and not more than 10** in Number clearly stating :

- (1) The names of newspapers, publications in which these were published.
- (2) The dates/places of publications. Entry form must be accompanied by 5 copies of each clipping.

(b) Short biographical sketch (not exceeding 250 words) of the critic in English/Hindi; and

(c) 5 high resolution working still of the critic.

3.6 A non-refundable entry fee of **Rs.2,000/-** per entry in the form of a cross Demand Draft in favour of **“PAO (MS), Ministry of I & B”** payable at the **State Bank of India, New Delhi**.

प्रविष्टि प्रपत्र
62वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2014
सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
ENTRY FORM
62ND NATIONAL FILM AWARDS FOR THE YEAR 2014
BEST WRITING ON CINEMA

Note/टिप्पणी

1. Please exercise great care in filling this form. Details entered against each column in the application would be deemed to be final for the purpose of determination of Awards. No request for change of details would be entertained at any stage.
1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. Award for Best Book on Cinema:

1. Title of the Book (in Block letters) :
 - (a) In the original language :
 - (b) In English :
 - (c) English translation of the book title :

1. सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक के लिए पुरस्कार :-

1. पुस्तक का शीर्षक (स्पष्ट अक्षरों में) :
 - (क) मूल भाषा में :
 - (ख) अंग्रेजी में :
 - (ग) पुस्तक शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद :

2. Language :

2. भाषा :

3. Name of the Author :

3. लेखक का नाम :

4. Date of Publication :

4. प्रकाशन की तारीख :

5. Number of Pages :

5. पृष्ठों की संख्या :

6. Price :

6. कीमत :

2. Award for Best Film Critic :

2. सर्वोत्तम फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार :

(1) Name of Writer / Critic :

(1) लेखक/समीक्षक का नाम :

(2) Title of Article / review	Language in Which Written	Name of News paper etc. in which Published	Date of Publication
(2) लेख/समीक्षा का शीर्षक	किस भाषा में लिखा गया	जिस समाचार पत्र आदि में प्रकाशित हुआ, उसका नाम	प्रकाशन की तारीख

3. Whether Publication Registered with Registrar of Newspapers of India (RNI), If Yes, RNI Registration No. :

3. क्या प्रकाशन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) से पंजीकृत है यदि हाँ तो (आरएनआई) पंजीकृत संख्या :

4. D.D. No. And Date: Bank on which drawn:

4. डिमांड ड्राफ्ट संख्या तथा दिनांक : बैंक जिसमें आहरित हो :

5. (A) Name, address & Telephone number (Landline & Mobile), E-mail address and Fax Number (if any) of the Publisher of the book / editor(s) of the newspaper(s) along with citizenship status etc.

(B) Author / Critic : (Whether citizen of India? If not please mention the country of citizenship)

5. (क) पुस्तक के प्रकाशन/समाचार पत्र (पत्रों) के संपादक (संपादकों) का (के) नाम, पता (पते) और दूरभाष संख्या (लैंडलाइन तथा मोबाइल), ई-मेल पता तथा फ़ैक्स न., (यदि हो) नागरिकता विवरण सहित :

(ख) लेखक/समीक्षक (क्या भारतीय नागरिक है) यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें।

6. Name, full address & Telephone number (Landline & Mobile), E-mail address and Fax Number (if any) of the person making the entry:

6. प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम पता और टेलीफोन नं (लैंडलाइन तथा मोबाइल), ई-मेल पता तथा फ़ैक्स न. (यदि हो) :

7. (A) **I/WE AGREE TO ABIDE BY THE DECISION OF JURY OF NATIONAL AWARD FOR THE BEST WRITING ON CINEMA AS FINAL AND BINDING.**

(B) **THE DECISION OF THE JURIES SHALL BE FINAL AND BINDING AND NO APPEAL OR CORRESPONDENCE REGARDING THEIR DECISION SHALL BE MADE BY ME/US.**

7. (क) मैं/हम सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए जूरी के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी स्वीकार करने को तैयार हैं।

(ख) जूरी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और मैं जूरी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Date:

दिनांक :

Signatures:

हस्ताक्षर :

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र
2. डिमान्ड ड्राफ्ट रु. 2000/-
3. पुस्तक की 05 प्रतियां
4. प्रत्येक कतरन की 05 प्रतियां (कम से कम 5 तथा अधिकतम 10)
5. लेखक/प्रकाशक/समीक्षक का प्रोफाइल ई मेल **enter4nfa@gmail.com** द्वारा।
6. लेखक/समीक्षक के फोटो/प्रकाशक का लोगो।

Best Writing on Cinema

Check List

1. Entry Form
2. Demand Draft Rs. 2000/-
3. 5 copies of Books
4. 5 copies of each clipping (minimum 5 and maximum 10)
5. Author/Publisher/Critic's profile only by e-mail **enter4nfa@gmail.com**
6. Author's/Critic's photographs/logo of Publisher

अनुसूची-III

प्राधिकार पत्र 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014

फ़िल्म समारोह निदेशालय

प्राधिकार-पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं तथा संबंधित प्रयोगशाला को डीसीपी/ब्लूरे/डीवी कैम की प्रति बनाने के लिए संबोधित किया जाना है)।

प्रेषक : (निर्माता/निर्माताओं) और निगेटिव अधिकार धारक (धारकों) का (के) नाम व पता (पते)

सेवा : (प्रयोगशाला का नाम और पता)

विषय : (फ़िल्म का शीर्षक) :

महोदय,

हम आपको उपरोक्त फ़िल्म की 35 मि.मी. में रंगीन या श्वेत-श्याम पोजिटिव प्रिंट/डीसीपी/ब्लूरे/डीवी कैम तैयार करने तथा उसे प्रभारी प्रिंट एकक, फ़िल्म समारोह निदेशालय (रा.फि.सं. प्रकोष्ठ), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049। टेलीफैक्स: 011-26497214 को भेजने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

प्रिंट की प्रति बनाने के लिए यथावश्यक कच्चे माल की सप्लाई फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा की जाएगी जो प्रकिया प्रभारों को सीधे प्रयोगशाला से तय करेगा।

प्रिंट फ़िल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली को भेज दिया जाए उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(हस्ताक्षर)
(निगेटिव अधिकार धारक)
(मुहर)

(हस्ताक्षर)
(निर्माता)
(मुहर)

प्रतिलिपि : निदेशक, फ़िल्म समारोह सूचना (एन.एफ.ए. सेल) प्रसारण मंत्रालय, सीरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को प्रेषित।

यदि इस फ़िल्म को पुरस्कार मिलता है तो निदेशालय से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अन्दर निदेशालय की लागत पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें फ़िल्म की एक वीडियो प्रति सप्लाई की जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित समयावधि के अन्दर अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो प्रति सप्लाई नहीं की जाती है तो निदेशालय को अपने खर्च पर एक वीडियो प्रति बनवाने का अधिकार होगा।

(हस्ताक्षर)
(निगेटिव अधिकार धारक)
(मुहर)

(हस्ताक्षर)
(निर्माता)
(मुहर)

SCHEDULE - III

AUTHORISATION LETTER 62ND NATIONAL FILM AWARDS 2014

DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS

Authorization letter (to be signed by the Producer and negative right holder for making copy of DCP/Bluray/DV Cam, in case of Video/digital formats).

From : (Name(s) and address(es) of Producer(s) and Negative right holder(s))

To: (Name and address of Laboratory)

Subject: (Title of the film)

Sir,

We hereby authorize you to prepare one 35 mm positive print in Colour or Black and White/DCP/Bluray/DV Cam (format as applicable) of the film and deliver it to the Print Unit, Directorate of Film Festivals (NFA Cell), Ministry of Information and Broadcasting, Siri Fort Auditorium Complex, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049, Tele/fax: 011-26497214.

Necessary raw stock required for copying the print will be supplied by the Directorate of Film Festivals who will also settle the processing charges directly with the laboratory. The Print may be delivered to Directorate of Film Festivals, New Delhi under intimation to us.

(Signature and Seal)
Negative right holder(s)

(Signature and Seal)
Producer(s)

Copy forwarded to the Director, Directorate of Film Festivals (NFA Cell), Ministry of Information and Broadcasting, Siri Fort Auditorium Complex, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049.

They will be supplied by the undersigned one Video copy of the film, if it wins an award, at the cost of the Directorate within one month of the receipt of a request to this effect from the Directorate. If a Video copy/DCP/Bluray/DV Cam is not supplied by the undersigned within the time mentioned heretofore this may be deemed to be an authority to the Directorate to get one Video copy made at their cost.

(Signature and Seal)
Negative right holder

(Signature and seal)
Producer(s)

अनुसूची-IV

प्राधिकार पत्र 62वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2014

राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय

प्राधिकार-पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं तथा संबंधित प्रयोगशाला को संबोधित किया जाना है)।

प्रेषक : (निर्माता/निर्माताओं) और निगेटिव अधिकार धारक (धारकों) का (के) नाम व पता (पते)

सेवा में : (प्रयोगशाला का नाम और पता)

विषय : (फ़िल्म का शीर्षक)

महोदय,

हम आपको उपरोक्त फ़िल्म की 35 मि.मी. में पोजिटिव रंगीन या श्वेत-श्याम प्रिंट तैयार करने तथा उसे प्रभावी परिरक्षण एवं अभिलेख हेतु राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे को भेजने का प्राधिकार देते हैं।

प्रिंट की कापी करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय द्वारा की जाएगी जो प्रक्रिया प्रभारों को सीधे प्रयोगशाला से तय करेगा।

प्रिंट राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, लॉ कालेज रोड, पुणे-4 को भेज दिया जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(हस्ताक्षर)
(निगेटिव अधिकार धारक)
(मुहर)

(हस्ताक्षर)
(निर्माता)
(मुहर)

टिप्पणी 1 : किसी अन्य साधारण प्रपत्र जैसे डी वी डी/ वी सी डी पर फ़िल्म के जारी होने से इसकी एक प्रति राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, पुणे को शैक्षिक एवं गैर वाणिज्यिक अभिलेख हेतु भेजी जाएगी।

टिप्पणी 2 : कॉपी अधिकार धारक/निगेटिव अधिकार धारक के लिए यह बाध्य होगा कि वे राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, पुणे को कॉपी अधिकार इत्यादि के स्थानांतरण के बारे में सूचित करें। यह भी ध्यान रहे कि प्राप्तियां या निगेटिव अधिकार धारक से संबंधित कार्य की सहमति राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय से ली जाएगी।

SCHEDULE - IV

AUTHORISATION LETTER 62ND NATIONAL FILM AWARDS 2014

NATIONAL FILM ARCHIVES OF INDIA

Authorization letter (to be signed by the Producer and negative right holder and Addressed to laboratory concerned).

From : (Name(s) and address(es) of Producer(s) and Negative right holder(s))

To : (Name and address of Laboratory)

Subject: (Title of the film)

Sir,

We hereby authorize you to prepare one 35 mm positive print in Colour or Black and White of the above film and deliver it to the National Film Archive of India, Pune, for permanent preservation/record. Necessary raw stock required for copying the print will be supplied by the National Film Archives of India, who will also settle the processing charges directly with the Laboratory.

The print may be delivered to National Film Archive of India, Law College Road, Pune, under intimation to us.

(Signature and Seal)
Negative right holder(s)

(Signature and Seal)
Producer(s)

Note 1: In the event of release of the film on any other cheaper format like DVD/VCD Etc. One copy of the same will be sent to the National Film Archive of India, Pune for educational and non-commercial archival use.

Note: 2: It is binding on the copy right owner/negative right owner to inform the National Film Archive of India, Pune about the transfer of copy right etc. It may also be noted that The consent of negative right holder for any related work will be obtained by the National Film Archive of India.

अनुसूची-V

(उप-नियम 15 (ख) के अनुसार)
(केवल जूरी सदस्यों/अध्यक्षों द्वारा भरा जाए)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि -

1. मैंने फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (फीचर फिल्म वर्ग/गैर-फीचर फिल्म/सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन वर्ग) की प्रविष्टियों की सम्पूर्ण सूची देख ली है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इन प्रविष्टियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित नहीं हूँ और न ही इनके साथ मेरा कोई वित्तीय हित जुड़ा हुआ है।
2. मैं अपनी सहमति देता हूँ कि यदि मेरी स्वयं की किसी फिल्म की प्रविष्टि होती है तो मैं जूरी की सदस्यता के अयोग्य हूँगा।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे निकट/रक्त संबंधी (जैसे-पुत्र, पुत्री, मामा/मामी, चाचा/चाची, प्रथम रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दादा, दादी, माता-पिता, भाई, बहन) या विवाह होने से किसी विशिष्ट फिल्म से संबंधित होता हूँ (चाहे व्यक्तिगत हो या वित्तीय), तो मैं इसके विषय में जूरी स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले लिखित में घोषणा कर दूँगा और स्वयं उस फिल्म के पूर्वावलोकन से अलग रहूँगा। मैं यह भी सहमति देता हूँ कि यदि इस फिल्म पर पुरस्कार के लिए वोट होता है तो मेरा वोट न गिना जाए।
4. मैंने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित विनियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा।
5. मैं जूरी की चर्चा को गोपनीय रखूँगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि मुझसे गोपनीयता बनाए रखने का उल्लंघन होता है तो मुझे जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, भारतीय पैनोरमा और भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जूरी सदस्य बनाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली

दिनांक :

हस्ताक्षर _____

नाम व पता : _____

दूरभाष : _____

मोबाइल : _____

ई-मेल : _____

SCHEDULE - V

[As per Clause 15(b)]

(To be filled in only by Jury Members/Chairpersons)

DECLARATION

I HEREBY DECLARE THAT

1. I HAVE SEEN THE COMPLETE LIST OF ENTRIES OF THE 62ND NATIONAL FILM AWARDS (FEATURE FILM SECTION / NON-FEATURE FILM SECTION/ BEST WRITING ON CINEMA SECTION) MADE AVAILABLE TO ME BY THE DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS. TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, I AM NOT DIRECTLY ASSOCIATED IN ANY MANNER NOR DO I HAVE ANY FINANCIAL INTEREST IN ANY OF THESE ENTRIES.
2. I UNDERSTAND AND AGREE I WILL BE INELIGIBLE TO SERVE ON THIS JURY IN CASE MY OWN FILM IS AN ENTRY.
3. **I ALSO UNDERSTAND THAT IN THE EVENT MY CLOSE RELATIVE BY BLOOD (SONS, DAUGHTERS, MATERNAL/PATERNAL UNCLES, AUNTS, FIRST COUSINS, NEPHEWS, NIECES, GRAND MOTHERS, GRAND FATHERS, PARENTS, BROTHERS, SISTERS) OR MARRIAGE, IS ASSOCIATED WITH A PARTICULAR FILM (EITHER IN PERSON OR FINANCIALLY), I WILL DECLARE THE SAME IN WRITING BEFORE THE JURY SCREENINGS BEGIN, AND RECUSE MYSELF FROM THE PREVIEW OF THE FILM. I ALSO AGREE THAT IN THE EVENT THIS FILM IS PUT TO VOTE FOR AN AWARD, MY VOTE SHALL NOT BE COUNTED.**
4. I HAVE GONE THROUGH THE REGULATIONS OF THE 62ND NATIONAL FILM AWARDS AND I WILL ABIDE BY THEM.
5. I WILL KEEP THE DELIBERATIONS OF THE JURY CONFIDENTIAL. I AM AWARE THAT IN CASE OF ANY VIOLATION OF THE CONFIDENTIALITY CLAUSE BY ME, I WOULD BE DEBARRED FOR LIFE FROM BECOMING A JURY MEMBER IN NATIONAL FILM AWARDS, INDIAN PANORAMA AND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF INDIA.

NEW DELHI

DATED:

SIGNATURE: _____

NAME AND ADDRESS: _____

TELEPHONE: _____

MOBILE: _____

E-MAIL: _____
